विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

विज्ञापन सं.: रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/अधीनस्थ न्यायालय/आशुलिपिक/2020/17 दिनांक: 18/01/2020

जिला न्यायालयों में आशुलिपिक ग्रेड–III एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (स्थाई लोक अदालतों सहित) में आशुलिपिक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा, 2020

1- राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित) [Rajasthan District Courts Ministerial Establishment Rules, 1986] (As amended) के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान के जिला न्यायालयों में आशुलिपिक ग्रेड–III (हिन्दी/अंग्रेजी) एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (स्थाई लोक अदालतों सहित) में आशुलिपिक (हिन्दी) के निम्न उल्लेखित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित ऑनलाईन प्रारूप (Online Format) में ऑनलाईन आवेदन (Online Applications) आमंत्रित किये जाते हैं। चयनित अभ्यर्थी नियमानुसार दो वर्ष की अवधि तक रूपये 23,700/- (fixed) प्रतिमाह पारिश्रमिक पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में रहेंगे। परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें नियमानुसार पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या L-10 के अनुसार पे–स्केल रू. **33,800–1,06,700/–** संदेय होगा।

विशेष नोट:–

(1) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित), विस्तृत विज्ञापन, ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश (Instructions) का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाईट http://www.hcraj.nic.in पर उपलब्ध हैं।

(2) आवेदक Online Application में समस्त वांछित एवं सुसंगत सूचनाऐं अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

2- **रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण (Number of Vacancies & Reservation)** :–

जिला न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (स्थाई लोक अदालतों सहित) के लिये आशुलिपिक ग्रेड–III (हिन्दी/अंग्रेजी) एवं आशुलिपिक (हिन्दी) के रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण, जिला–न्यायक्षेत्रवार एवं वर्गवार निम्न संलग्नानुसार है :–

A. **जिला न्यायालयों हेतु आशुलिपिक (हिन्दी)** :–

i. गैर–अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP Area) :– **संलग्नक – 1**

ii. अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) :– **संलग्नक – 2**

B. **जिला न्यायालयों हेतु आशुलिपिक (अंग्रेजी)** :–

i. गैर–अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP Area) :– **संलग्नक – 3**

ii. अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) :– **संलग्नक – 4**

C. **जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (स्थाई लोक अदालतों सहित) हेतु आशुलिपिक (हिन्दी)** :–

i. गैर–अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP Area) :– **संलग्नक – 5**

ii. अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) :– **संलग्नक – 6**

नोट:–

i. उपर्युक्त रिक्त पदों की संख्या में किसी भी समय नियमानुसार कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसके लिए पुनः विज्ञप्ति/शुद्धिपत्र जारी नहीं किया जायेगा।

ii. यदि भर्ती प्राधिकारी को उपर्युक्त विज्ञापित पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करते समय, नियुक्ति प्राधिकारी से, विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अनधिक की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना चयन के लिए प्राप्त हो जाती है तो वह ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन भी कर सकेगा।

3- **अनुसूचित क्षेत्रों (TSP Areas) हेतु आरक्षित पदों के सन्दर्भ में** :–

i. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित जनजातीय उप आयोजना क्षेत्रों (TSP Areas) के लिए रिक्तियों का आरक्षण सरकार द्वारा अनुसरण किये गये अनुसूचित जनजातीय उप आयोजना कार्यक्रम के अनुसार होगा।

ii. जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं ब्लॉक आबूरोड़ के अनुसूचित क्षेत्रों हेतु अभ्यर्थियों का चयन क्रमशः प्रत्येक जिले को एवं आबूरोड़ हेतु उक्त ब्लॉक को एक स्वतंत्र इकाई मानते हुए किया जायेगा।

18.01.2020

iii. इन अनुसूचित क्षेत्रों में 5% पद अनुसूचित जाति एवं 45% पद अनुसूचित जनजाति के योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरे जायेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के शेष 50% पद पर किसी भी जाति या वर्ग के उसी अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों का, योग्यता के आधार पर वरीयता के क्रम में नियमानुसार चयन किया जायेगा।

iv. अनुसूचित क्षेत्र के एक जिले में उपलब्ध रिक्तियों को भरते समय 45% स्थानीय अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र को एक इकाई के रूप में मानकर अन्य जिलों में उपलब्ध अनुसूचित जनजाति के योग्य अभ्यर्थियों से ऐसी रिक्तियां भरी जा सकेगी।

v. "अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो –

(क) 1 जनवरी, 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है;

(ख) यदि उसका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उसके माता–पिता 1 जनवरी, 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे हैं और वह अपने जन्म से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है; या

(ग) उक्त खण्ड (क) या (ख) के अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा सम्बन्धित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है।

4- <u>विभिन्न वर्गों (Various Categories) के आरक्षण के सन्दर्भ में:–</u>

i. **महिलाओं (Women) के आरक्षण के सन्दर्भ में:–**

महिलाओं (विधवा एवं विच्छिन्न–विवाह महिला सहित) हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण **प्रवर्गवार रिक्त पदों के विरूद्ध** क्षैतिज (Compartmentalized Horizontal) रूप से होगा, अर्थात् जिस प्रवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सामान्य वर्ग) की महिला आवेदक चयनित होगी, उसे सम्बन्धित प्रवर्ग, जिसकी वह आवेदक है, में समायोजित किया जायेगा।

ii. **दिव्यांगजन (Persons with Benchmark Disabilities) के आरक्षण के सन्दर्भ में:–**

(अ) दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण **कुल रिक्त पदों के विरूद्ध** क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा, अर्थात् जिस प्रवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सामान्य वर्ग) का दिव्यांग आवेदक चयनित होगा, उसे संबंधित <u>प्रवर्ग (Category),</u> जिसका वह आवेदक है, में समायोजित किया जायेगा।

(ब) दिव्यांगजन की श्रेणी में आने वाले आवेदकों को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर अपनी निःशक्तता के संबंध में समुचित सरकार <u>(Appropriate Government)</u> द्वारा प्राधिकृत प्रमाणन प्राधिकारी <u>(Authorized Certifying Authority)</u> द्वारा विहित प्रारूप में जारी निःशक्तता प्रमाण–पत्र <u>(Certificate of Disability)</u> प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में प्रवृत्त सुसंगत नियमों के अनुसार निःशक्तता प्रमाण–पत्र धारक आवेदक ही दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों के विरूद्ध चयन एवं नियुक्ति के लिए पात्र माना जायेगा।

iii. **उत्कृष्ट खिलाड़ियों (Outstanding Sports Persons) के आरक्षण के संन्दर्भ में:–**

(अ) "उत्कृष्ट खिलाड़ियों" से अभिप्रेत है और इसमें राज्य के ऐसे खिलाड़ी सम्मिलित हैं, जिन्होनें–

(i) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो; या

(ii) इण्डियन स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो; या

(iii) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो; या

(iv) इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा में या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

(ब) उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण **कुल रिक्त पदों के विरूद्ध** क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा, अर्थात् जिस श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सामान्य वर्ग) का आवेदक चयनित होगा, उसे सम्बन्धित श्रेणी, जिसका वह आवेदक है, में समायोजित किया जायेगा।

iv. **भूतपूर्व सैनिकों (Ex-servicemen) के आरक्षण के संन्दर्भ में:–**

भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण **कुल रिक्त पदों के विरूद्ध** क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा, अर्थात् जिस श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सामान्य वर्ग) का आवेदक चयनित होगा, उसे सम्बन्धित श्रेणी, जिसका वह आवेदक है, में समायोजित किया जायेगा।

18.01.2020

महत्त्वपूर्ण नोट (Important Notes):–

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/महिला/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांगजन/उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित) में विहित प्रक्रिया एवं रीति से भरा जायेगा।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में आरक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate), अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में जारी किया गया जाति एवं आय प्रमाण–पत्र (Caste and Income Certificate) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में जारी किया गया आय प्रमाण–पत्र (Income Certificate) प्रस्तुत करना होगा।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर नियमानुसार जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।
- अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर नियमानुसार जारी जाति एवं आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति एवं आय प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।
- विधवा महिला अभ्यर्थी के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अपने पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र (Death Certificate) प्रस्तुत करना होगा तथा विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थी के मामले में उसे विवाह विच्छेद (Divorce) का प्रमाण (Proof) प्रस्तुत करना होगा।
- सामान्य वर्ग के पदों के विरूद्ध चयन हेतु, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में पात्र होना आवश्यक होगा।
- चयन हेतु सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट उनके द्वारा शीघ्रलिपि एवं कम्प्यूटर परीक्षा (गति एवं दक्षता परीक्षा) में अर्जित कुल प्राप्तांकों के आधार पर संस्थानुसार (Institute-wise), निम्न वरीयता क्रम में तैयार की जायेगी :

  प्रथम वरीयता :– जिला न्यायालय।

  द्वितीय वरीयता :– जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (स्थाई लोक अदालत सहित)
- अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय जिला न्यायक्षेत्रों (जिलों के नाम) में से किन्हीं पांच जिला न्यायक्षेत्रों का, प्राथमिकतानुसार चयन करना होगा।
- गैर–अनुसूचित क्षेत्रों (Non-TSP Areas) के आवेदक, जिलों का चयन करते समय अनुसूचित क्षेत्रों (TSP Areas) के जिलों का चयन नहीं कर सकेंगे।
- सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा, यथासंभव उनके द्वारा चयनित पांच जिला न्यायक्षेत्रों में से प्राथमिकता के अनुसार किसी एक जिला न्यायक्षेत्र हेतु की जायेगी। जो कि अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के अध्यधीन रहेगी।
- प्राथमिकतानुसार पांच जिला न्यायक्षेत्रों में चयन नहीं होने की स्थिति में भर्ती प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थी का नाम किसी भी जिला न्यायक्षेत्र में नियुक्ति हेतु अनुशंसित कर सकेगा, जिसमें वह उचित समझे।
- अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के उसी सम्बन्धित अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे।
- अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के आवेदक, ऑनलाईन आवेदन करते समय अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) का स्पष्ट रूप से चयन करें।
- अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के निवासी आवेदक, नियुक्ति के लिये जिलों का चयन करते समय अपने अनुसूचित क्षेत्र (जहां के वे स्थानीय निवासी हैं) को प्रथम प्राथमिकता के रूप में चयन करें, तत्पश्चात किन्हीं अन्य चार गैर–अनुसूचित क्षेत्र (Non-TSP Area) के जिला न्यायक्षेत्रों का चयन कर सकते हैं। परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों की गैर–अनुसूचित क्षेत्र में चयन/नियुक्ति उक्त क्षेत्र की मेरिट लिस्ट के अध्यधीन ही रहेगी।
- अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के निवासी आवेदक द्वारा अपने अनुसूचित क्षेत्र का प्रथम प्राथमिकता के रूप में चयन नहीं करने की स्थिति में, उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये विचार नहीं किया जायेगा।
- किसी एक अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के निवासी आवेदक, किसी अन्य अनुसूचित क्षेत्र का चयन नहीं कर सकेंगे।
- उदयपुर अनुसूचित क्षेत्र में रिक्तियां नहीं होने के कारण इसे अनुसूचित क्षेत्र में नहीं दर्शाया गया है।

18.01.2020–

5- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता **(Minimum Academic Qualification)**:–

A candidate for direct recruitment:

1. must have passed the Senior Secondary Examination in Arts or Science or Commerce of the Rajasthan Board of Secondary Education or an Examination equivalent thereto recognized by the Government or any Higher Examination and ;
2. must possess a good working knowledge of Hindi as written in Devanagri script & of Rajasthani Dialects and;
3. must have passed :-

"O" or Higher Level Certificate Course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India;

or

Computer Operator & Programming Assistant (COPA)/Data Preparation & Computer Software (DPCS) certificate organized under National/State council of Vocational Training Scheme;

or

Diploma in Computer Science/ Computer Application from any university established by Law in India or from an institution recognized by the Government;

or

Diploma in Computer Science & Engineering from a Polytechnic Institution recognized by the Government;

or

Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RSCIT) Conducted by Vardhaman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited;

or

Senior Secondary School Examination with Computer Science as an optional subject;

or

Any equivalent or higher qualification.

6- शारीरिक उपयुक्तता **(Physical Fitness)** :–

आवेदक को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक एवं शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए, जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो। आवेदक के चयन होने की स्थिति में उसे भर्ती प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

7- राष्ट्रीयता **(Nationality)**:–

सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह :–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या

(ग) भूटान का प्रजाजन हो :

परन्तुक– प्रवर्ग (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी, वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र दिया गया है।

8. आयु **(Age)**:–

आशुलिपिक ग्रेड–III एवं आशुलिपिक के पद पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी आवेदनों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के ठीक पश्चात् आने वाली जनवरी के प्रथम दिन **(1 जनवरी, 2021)** को **18 वर्ष** की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और **40 वर्ष** की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए :

परन्तु :–

(i) उपर्युक्त उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा को,–

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के मामले में **5 वर्ष** तक, शिथिल किया जायेगा।

(ख) महिला अभ्यर्थियों के मामले में **5 वर्ष** तक शिथिल किया जायेगा।

18.01.2020

(ii) रिजर्विस्ट यथा रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा सेवा कार्मिकों हेतु ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

(iii) कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपर्युक्त ऊपरी आयु सीमा को, उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में समझा जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को **कैडेट अनुदेशक के रूप में** राष्ट्रीय कैडेट कोर में प्रदान की गयी कुल सेवा अवधि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा;

(iv) उपर्युक्त ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो उसकी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था। ऐसे अभ्यर्थियों को सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी रूप से सेवा सम्पादित करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा;

(v) ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में, उपर्युक्त ऊपरी आयु सीमा को, उसके द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा, यदि वह दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था;

(vi) विधवाओं और विछिन्न विवाह–महिलाओं (परित्यक्ता) के मामले में कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी।

(vii) दिव्यांगजन (Persons with Benchmark Disabilities) के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट, उसी प्रकार अनुज्ञेय होगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर राज्य में लागू हो;

(viii) निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे सीधी भर्ती के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित हों आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो, यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे;

(ix) **उपरोक्त आयु सीमा में शिथिलता केवल एक श्रेणी हेतु ही अनुज्ञेय होगी।**

9. **चरित्र (Character)**:–

सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित (Qualify) करे। अभ्यर्थी कोः–

(i) एक सच्चरित्रता प्रमाण–पत्र (Good Character Certificate), उस विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय, जिसमें उसने अन्तिम बार अध्ययन किया है, के प्रधानाचार्य/अकादमी अधिकारी द्वारा जारी प्रस्तुत करना होगा एवं

(ii) दो सच्चरित्रता प्रमाण–पत्र, जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 6 माह से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हों, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे, जो उसके सम्बन्धी ना हों।

10. **परीक्षा शुल्क (Examination Fee)**:–

उक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदक द्वारा निम्न राशि परीक्षा शुल्क के रूप में देय होगीः–

सामान्य वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अन्य राज्य के आवेदक	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के आवेदक/ दिव्यांगजन
रूपये 650/–	**रूपये 400/–**

11. **परीक्षा शुल्क की वापसी (Refund of Examination Fee)**:–

परीक्षा शुल्क की वापसी से संबंधित किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही परीक्षा शुल्क किसी अन्य परीक्षा हेतु आरक्षित किया जायेगा जब तक कि भर्ती प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन ही निरस्त नहीं कर दिया जाता। विज्ञापन निरस्तीकरण की दशा में ही परीक्षा शुल्क की वापसी अनुज्ञेय होगी।

12. **नियुक्ति के लिए निरर्हताऐं (Disqualifications for Appointment)**:–

1. कोई पुरूष अभ्यर्थी, जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार इस बात से सन्तुष्ट होकर, कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, उस पुरूष अभ्यर्थी को इस नियम के संचालन से छूट प्रदान नहीं करे।
2. कोई भी महिला अभ्यर्थी, जो ऐसे व्यक्ति से विवाहित है, जिसकी पहले से जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार इस बात से सन्तुष्ट होकर, कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, उस महिला अभ्यर्थी को इस नियम के संचालन से छूट प्रदान नहीं करे।
3. कोई भी विवाहित अभ्यर्थी, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया था।
4. कोई भी अभ्यर्थी, जिसके दो से अधिक संतानें हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः

18.01.2020

परन्तु अभ्यर्थी जिसके उक्त नियमों के प्रारंभ की दिनांक को दो से अधिक संतानें हैं, निरर्हित नहीं समझा जाएगा।

परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती है वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगाः

परन्तु यह भी कि इस उप–नियम के उद्देश्य के लिए उक्त नियमों के लागू होने की तिथि के 280 दिनों के भीतर जन्मी संतान, निर्योग्यता का गठन नहीं करेगी।

परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त होः

परन्तु यह और भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है, जो किसी विधि के विरूद्ध नहीं है और वह ऐसे किसी पुनर्विवाह से पूर्व इस उप–नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा, यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

नोटः– राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित) का नियम 20(4) दिनांक 06.07.2010 को प्रवृत हुआ है।

13. <u>परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम (Scheme & Syllabus of Examination)</u>:–

(1) Competitive Examination for the posts of Stenographers Grade-III /Stenographers shall consist of the subject given in two alternative **Groups A** and **B**. A candidate shall be required to pass the subject group of the post applied and required to pass **Group C** compulsorily :-

Group – A

English Shorthand Test:

S.No.	Paper	Duration	Speed of dictation	Marks
1	Dictation of passage	6 Minutes	**80 words per minute**	**100**
2	Transcription and typing of Dictated passage in English on Computer.	50 Minutes	.....	

Group – B

Hindi Shorthand Test:

S.No.	Paper	Duration	Speed of dictation	Marks
1	Dictation of passage	6 Minutes	**70 words per minute**	**100**
2	Transcription and typing of Dictated passage in Hindi on Computer.	50 Minutes	.....	

Group – C

Computer Test:

S.No.	Paper	Duration	Marks	Minimum Marks for SC/ST & PH	Minimum Marks for all others
1	Speed Test	10 Minutes	**50**	**20**	**22.5**
2	Efficiency Test	10 Minutes	**50**	**20**	**22.5**

<u>साक्षात्कार (INTERVIEW)</u>

साक्षात्कार के कोई अंक नहीं हैं। साक्षात्कार का एकमात्र उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि अभ्यर्थी इस सीमा तक ना हकलाता हो जिससे कि वह स्वयं द्वारा लिखे हुए को पढ़ने में असमर्थ हो। अभ्यर्थियों का अन्तिम चयन राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 के नियम 22 के अन्तर्गत आयोजित साक्षात्कार के अध्यधीन होगा।

(2) <u>आशुलिपि परीक्षा के आयोजन की विधि (Method of Conducting Stenography Test)</u> :-

i. Before dictating the final Shorthand passage to the candidates, a trial passage containing 200-250 words should be dictated at the same speed at which the final

18.01.2020

passage is intended to be dictated. The trial passage need not be transcribed and will not be taken into account while marking.

ii. After a lapse of two three minutes, of the dictation of trial passage, the final passage should be dictated by the same person keeping in view the uniformity of speed which can be achieved by marking the passage after every 80-100 words as the case may be.

iii. After the final passage is dictated, five minutes time should be allowed to the candidates for reading the dictated passage.

iv. The candidates should be required to transcribe the passage on Computer.

(3) गति एवं दक्षता परीक्षा के आयोजन की विधि **(Method of Conducting Speed & Efficiency Test) :-**

i. The language of Speed & Efficiency Test shall be **same as the language of Shorthand Test.**

ii. The font for Computer Test shall be "Kruti Dev 010" for Hindi and "Calibri" for English.

iii. Minimum Speed should be 8000 key depressions per hour on computer.

iv. Efficiency Test may be taken on word processing software. It shall include formatting of Test, Paragraph, Page & Table using proper methods and formatting of letters.

(4) मूल्यांकन की विधि **(Method of Evaluation):-**

(1) The mistakes shall be counted as full or partial mistakes, as the case may be:-

(a) The following should be counted as full mistakes:-

(1) Omission of words or figure.
(2) Substitution of wrong word or figure.
(3) Misspelling.
(4) Two partial mistakes will be equal to one full mistake.

(b) The following should be counted as partial mistakes:–

(1) Error or Omission in punctuation.
(2) Wrong use of capital or small letters.
(3) Wrong indentation of paragraph.

(2) **The margin of 5% mistakes may be allowed**. If the mistakes/omissions are more than 5% of the dictated passage, the excess number of mistakes over 5% shall be deducted from the total number or words dictated and the speed will be calculated.

14. ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया **(Procedure for filling Online Application)**–

ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया से सम्बन्धित दिशा–निर्देश यथोचित समय पर अपलोड कर दिये जायेंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व दिशानिर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें एवं राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट www.hcraj.nic.in को नियमित रूप से देखते रहें।

15. आवेदन करने की समय सीमा **(Time Limit to Apply)** :–

क्रमांक	विवरण	तिथि
1.	ऑनलाईन आवेदन करने की समय सीमा	30.01.2020 (बृहस्पतिवार) को दोपहर 01.00 से दिनांक 28.02.2020 (शुक्रवार) को सांय 05:00 बजे तक।
2.	ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा करने की समय सीमा	30.01.2020 (बृहस्पतिवार) को दोपहर 01.00 से दिनांक 29.02.2020 (शनिवार) को रात्रि 11:59 बजे तक।

ऑनलाईन आवेदन (Online Application) करने व ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा करने की उपरोक्त समय सीमा के पश्चात पोर्टल का लिंक निष्क्रिय हो जायेगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक व समय का इन्तजार किए बिना यथाशीघ्र निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा कर ऑनलाईन आवेदन करें। **ई–मित्र कियोस्क/नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) तथा नेट–बैंकिग (Net-Banking) या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि जमा की जा सकेगी।**

16. आवेदन सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश **(Important Instructions to Apply)**:–

1. कोई भी आवेदक जिस श्रेणी (Category) के अन्तर्गत आवेदन करने का पात्र है, वह उसी श्रेणी (Category) में ही आवेदन करे। **आवेदन पत्र में भरी गयी श्रेणी (Category) आवेदक की प्रार्थना पर किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं की जायेगी।**

10.01.2020

नोटः–राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

2. आवेदक ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन में अंकित शर्तों व सुसंगत नियमों के अन्तर्गत पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है तथा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवश्यक समस्त सूचनाएं सम्बन्धित कॉलम में सही एवं पूर्ण रूप से भरी गई हैं। ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गयी सूचनाओं के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

3. ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक तक भरे जाने वाले आवेदन ही स्वीकार किये जाएंगे। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

4. एक बार अन्तिम रूप से ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्ट की गयी प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना–पत्र विचारार्थ ग्रहण किया जाएगा।

17. परीक्षा का स्थान, माह एवं दिनांक **(Place, Month and Date of Examination)** :–

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा जयपुर में आयोजित किए जाने की संभावना है। **परीक्षा के माह व दिनांक के संबंध में सूचना यथोचित समय पर पृथक् से प्रसारित की जाएगी। परीक्षा आयोजित किए जाने के स्थान, माह एवं दिनांक में परिवर्तन करने का एकमात्र अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है।**

18. अनापत्ति प्रमाण–पत्र **(No Objection Certificate)**:–

राजस्थान राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवारत व्यक्तियों, जो कि नियमानुसार पात्रता धारक हो, को आवेदन करने से पूर्व ही अपने नियोक्ता को लिखित में सूचित कर इस चयन प्रक्रिया के लिए आवेदन करने की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि नियोक्ता द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय अथवा सम्बन्धित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदक द्वारा अनुमति नहीं लिए जाने अथवा आवेदक को अनापत्ति प्रमाण–पत्र नहीं दिये जाने के बारे में सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता (Candidature) तुरन्त प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।

19. प्रवेश–पत्र (Admission Card) :–

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **प्रवेश–पत्र वेबसाईट** http://www.hcraj.nic.in पर Upload किये जाएंगे तथा **डाक से कोई प्रवेश–पत्र नहीं भेजा जाएगा।** परीक्षा की तिथि निर्धारित होने के उपरान्त अभ्यर्थियों के प्रवेश–पत्र Upload किए जाने की सूचना वेबसाईट पर प्रसारित की जाएगी। **आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की वेबसाईट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।**

20. अन्य महत्त्वपूर्ण निर्देश **(Other Important Instructions)**:–

(1) **''राजस्थान सूचना का अधिकार (उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय) नियम, 2006'', के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर इस भर्ती से संबंधित वांछित सूचना, भर्ती प्रक्रिया के लम्बनकाल के दौरान प्रदान नहीं की जा सकेगी। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् वांछित सूचना नियमानुसार प्रदान की जा सकेगी।**

(2) अभ्यर्थियों को सभी संबंधित मूल दस्तावेज/प्रमाण–पत्र, जिनके आधार पर वे किसी भी प्रकार का दावा (claim) करते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय अथवा संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर (on being required) प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/भोजन भत्ता देय नहीं होगा।

(4) प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेब साईट http://www.hcraj.nic.in पर अपलोड करके संसूचित किया जायेगा। किसी भी अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से संसूचित नहीं किया जाएगा।

(5) **कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा–कक्ष/परीक्षा–केन्द्र के परिसर में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच एवं अन्य कोई संचार यंत्र (any other electronic/communication devices) तथा पर्स इत्यादि कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर नहीं आये। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुऐं, जैसे पेन, पेन्सिल, प्रवेश–पत्र या राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित एवं अनुज्ञेय सामग्री ही परिसर/कक्ष में ले जा सकता है।**

(6) **जिस परिसर में भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहां मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच या अन्य कोई संचार यंत्र (any other electronic/communication devices) ले जाने/रखने की अनुमति नहीं है। ऐसी किसी वस्तु की सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान उच्च न्यायालय, किसी की भी नहीं होगी।**

(7) **परीक्षार्थियों को राजस्थान उच्च न्यायालय/केन्द्राधीक्षक/वीक्षक/राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त/अधिकृत अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों की अनिवार्यतः पालना करनी होगी। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरूद्ध भविष्य में होने वाली परीक्षा में बैठने पर रोक सहित समुचित विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।**

18.01.2020

(8) ऐसे आवेदक, जिनके द्वारा अन्तिम दिनांक तक ऑनलाईन आवेदन कर सफलतापूर्वक परीक्षा शुल्क जमा करा दिया गया है, उनको ही **राजस्थान उच्च न्यायालय** द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से परीक्षा में बैठने दिया जायेगा। किसी आवेदक को परीक्षा में बैठने के लिए केवल मात्र प्रवेश–पत्र जारी कर दिये जाने का यह अभिप्राय नहीं होगा कि **राजस्थान उच्च न्यायालय** द्वारा उसकी अभ्यर्थिता अन्तिम (Final) रूप से सही मान ली गई है अथवा आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र में की गयी प्रविष्टियां सही और ठीक मान ली गई हैं। **राजस्थान उच्च न्यायालय** द्वारा आवेदक की मूल प्रलेखों से व नियमानुसार पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक/महिला/विधवा/परित्यक्ता (तलाकशुदा)/उत्कृष्ट खिलाड़ी आदि के रूप में पात्रता की अन्य आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करने के आधार पर उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी अभ्यर्थिता (Candidature) किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा।

(9) **अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम (Prevention of use of Unfair Means)**:– परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा में **अनुचित साधनों** का प्रयोग करने पर राजस्थान उच्च न्यायालय उसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही कर सकता है जिसमें परीक्षार्थी के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत समुचित कानूनी कार्यवाही किया जाना भी सम्मिलित है।

(10) **अनियमित या अनुचित साधनों द्वारा नियोजन (Employment of irregular or Improper Means)**:– कोई अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण करने का या बनावटी दस्तावेज जिनमें गडबड की गयी है, प्रस्तुत करने का या ऐसे कथन करने का जो सही नहीं है या मिथ्या है या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का या परीक्षा या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या उनका प्रयोग करने का प्रयास करने या परीक्षा में प्रवेश पाने या साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार के अन्य अनियमित या अनुचित साधन, काम में लाने या किसी भी तरह से अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने के प्रयास का दोषी है या नियुक्ति प्राधिकारी/भर्ती प्राधिकारी द्वारा दोषी घोषित किया गया है तो दाण्डिक कार्यवाही किये जाने का दायी होने के अतिरिक्त नियुक्ति प्राधिकारी/भर्ती प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों के चयन के लिए आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित होने या साक्षात्कार में उपस्थित होने से और सरकार द्वारा सरकार के अधीन नियोजन से स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जायेगा।

(11) **संयाचना (Canvassing)**:– नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा, सीधी भर्ती के लिए किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिए निरर्हित कर सकेगा।

हैल्प लाईन (Help Line) :–

आवेदन व परीक्षा सम्बन्धित समस्याओं के निवारण एवं जानकारी हेतु **हैल्प लाईन (Help Line)** नम्बरों 0291–2541042 एवं 2541388 पर कार्यालय समय के दौरान (**During Office Hours**) सम्पर्क करें।

उक्त भर्ती प्रकिया के सम्बन्ध में आवश्यकता होने पर प्रतिवेदन/प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को सम्बोधित कर प्रेषित किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ई–मेल से प्रेषित किसी भी प्रतिवेदन/प्रार्थना पत्र आदि को विचार में नहीं लिया जाएगा।

18.01.2020–

रजिस्ट्रार (परीक्षा)

संलग्नक - 1

गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Areas)

जिला न्यायालयों में आशुलिपिक ग्रेड–III (हिन्दी) की रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण (जिला–न्यायक्षेत्रवार एवं प्रवर्गवार)

S.NO.	NAME OF JUDGESHIP	TOTAL VACANCIES	GENERAL				Total Gen	EWS				Total EWS	SC				Total SC	ST				Total ST	OBC				Total OBC	MBC				Total MBC	HORIZONTAL RESERVATION							Total
																																PD							
			UR	F	W	D		EWS	F	W	D		SC	F	W	D		ST	F	W	D		OBC	F	W	D		MBC	F	W	D		B/LV	D/HH	LD	AUT	MD	ES	OSP	
1	AJMER	22	6	2	1	0	9	2	0	0	0	2	4	1	0	0	5	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2
2	ALWAR	26	5	1	1	0	7	2	1	0	0	3	4	1	1	0	6	3	1	1	0	5	3	1	0	0	4	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	1	5
3	BALOTRA	12	7	2	0	0	9	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
4	BARAN	9	5	1	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	BHARATPUR	10	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	3	0	0	0	3	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
6	BHILWARA	15	6	1	1	0	8	1	0	0	0	1	1	1	0	0	2	1	0	0	0	1	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
7	BIKANER	9	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	BUNDI	9	3	1	0	0	4	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	CHITTORGARH	15	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	5	1	0	0	6	3	1	0	0	4	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
10	CHURU	6	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DAUSA	6	3	1	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	DHOLPUR	4	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	HANUMANGARH	3	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	JAIPUR METRO	25	6	2	1	0	9	2	1	0	0	3	3	1	0	0	4	2	1	0	0	3	3	1	1	0	5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

संलग्नक - 1

गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Areas)

जिला न्यायालयों में आशुलिपिक ग्रेड–III (हिन्दी) की रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण (जिला–न्यायक्षेत्रवार एवं प्रवर्गवार)

S.NO.	NAME OF JUDGESHIP	TOTAL VACANCIES	GENERAL				Total Gen	EWS				Total EWS	SC				Total SC	ST				Total ST	OBC				Total OBC	MBC				Total MBC	HORIZONTAL RESERVATION							Total
																																PD							
			UR	F	W	D		EWS	F	W	D		SC	F	W	D		ST	F	W	D		OBC	F	W	D		MBC	F	W	D		B/LV	D/HH	LD	AUT	MD	ES	OSP	
15	JAIPUR DISTRICT	14	6	2	0	0	8	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	JAISALMER	6	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	JALORE	5	3	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
18	JHALAWAR	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	4	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
19	JHUNJHUNU	5	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	JODHPUR METRO	18	7	2	0	0	9	1	0	0	0	1	3	1	0	0	4	3	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	JODHPUR DISTRICT	8	5	1	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KARAULI	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
23	KOTA	17	8	1	0	0	9	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
24	MERTA	12	7	2	0	0	9	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	PALI	13	7	1	0	0	8	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	RAJSAMAND	7	5	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	SAWAI MADHOPUR	6	3	1	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
28	SIKAR	7	2	1	0	0	3	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

संलग्नक - 1

गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Areas)

जिला न्यायालयों में आशुलिपिक ग्रेड–III (हिन्दी) की रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण (जिला–न्यायक्षेत्रवार एवं प्रवर्गवार)

S.NO.	NAME OF JUDGESHIP	TOTAL VACANCIES	GENERAL				Total Gen	EWS				Total EWS	SC				Total SC	ST				Total ST	OBC				Total OBC	MBC				Total MBC	HORIZONTAL RESERVATION							Total
			UR	F	W	D		EWS	F	W	D		SC	F	W	D		ST	F	W	D		OBC	F	W	D		MBC	F	W	D		PD				ES	OSP	
																																B/LV	D/HH	LD	AUT	MD			
29	SIROHI	8	1	1	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
30	SRI GANGANAGAR	6	2	1	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	TONK	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	UDAIPUR	13	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	5	2	0	0	7	3	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	**329**					**150**					**24**					**62**					**49**					**39**					**5**							**17**

नोटः– तालिकाओं में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्द–रूपों की वृहद् शब्दावली

F - Female (महिला)

D - Divorcee Woman (विवाह विच्छिन्न महिला)

W - Widow (विधवा)

PD - Persons with Disabilities (दिव्यांगजन)

B/LV - Blind & Low Vision (अन्धता और निम्न दृश्यता)

D/HH - Deaf & Hard of Hearing (बधिर और जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है)

LD - Locomotor Disability (चलन दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत परा मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित और पेशीय दुर्विकार है)

AUT - Autism (ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग)

MD - Multiple Disabilities (उक्त दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु – दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत बधिर–अन्धता है)

UR - Un-Reserved (अनारक्षित)

SC - Scheduled Caste (अनुसूचित जाति)

ST - Scheduled Tribes (अनुसूचित जनजाति)

OBC - Other Backward Classes (अन्य पिछड़ा वर्ग)

MBC - More Backward Classes (अति पिछड़ा वर्ग)

EWS - Economically Weaker Section (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)

OSP - Outstanding Sports Person (उत्कृष्ट खिलाड़ी)

ES - Ex-Servicemen (भूतपूर्व सैनिक)

संलग्नक - 2

अनुसूचित क्षेत्र (TSP Areas)

जिला न्यायालयों में आशुलिपिक ग्रेड–III (हिन्दी) की रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण (जिला–न्यायक्षेत्रवार एवं प्रवर्गवार)

S.NO.	NAME OF JUDGESHIP	TOTAL VACANCIES	GENERAL				Total Gen	EWS				Total EWS	SC				Total SC	ST				Total ST	OBC				Total OBC	MBC				Total MBC	HORIZONTAL RESERVATION							Total
																																	PD							
			UR	F	W	D		EWS	F	W	D		SC	F	W	D		ST	F	W	D		OBC	F	W	D		MBC	F	W	D		B/LV	D/HH	LD	AUT	MD	ES	OSP	
1	ABU ROAD BLOCK (SIROHI)	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PRATAPGARH	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BANSWARA	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	DUNGARPUR	6	3	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**11**					**8**					**0**					**0**					**3**					**0**					**0**							**0**

संलग्नक - 3

गैर - अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP Areas)

जिला न्यायालयों में आशुलिपिक ग्रेड–III (अंग्रेजी) की रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण (जिला–न्यायक्षेत्रवार एवं प्रवर्गवार)

S.NO.	NAME OF JUDGESHIP	TOTAL VACANCIES	GENERAL				Total Gen	EWS				Total EWS	SC				Total SC	ST				Total ST	OBC				Total OBC	MBC				Total MBC	HORIZONTAL RESERVATION								Total
			UR	F	W	D		EWS	F	W	D		SC	F	W	D		ST	F	W	D		OBC	F	W	D		MBC	F	W	D		PD					ES	OSP	
																																	B/LV	D/HH	LD	AUT	MD			
1	AJMER	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ALWAR	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BALOTRA	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	BARAN	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	BHARATPUR	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BHILWARA	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	BIKANER	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	BUNDI	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	CHITTORGARH	2	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	CHURU	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DAUSA	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	DHOLPUR	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	HANUMANGARH	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	JAIPUR METRO	6	1	1	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	JAIPUR DISTRICT	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	JAISALMER	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

संलग्नक - 3

गैर - अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP Areas)

जिला न्यायालयों में आशुलिपिक ग्रेड–III (अंग्रेजी) की रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण (जिला–न्यायक्षेत्रवार एवं प्रवर्गवार)

S.NO.	NAME OF JUDGESHIP	TOTAL VACANCIES	GENERAL				Total Gen	EWS				Total EWS	SC				Total SC	ST				Total ST	OBC				Total OBC	MBC				Total MBC	HORIZONTAL RESERVATION								Total
			UR	F	W	D		EWS	F	W	D		SC	F	W	D		ST	F	W	D		OBC	F	W	D		MBC	F	W	D		PD					ES	OSP	
																																B/LV	D/HH	LD	AUT	MD			
17	JALORE	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	JHALAWAR	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	JHUNJHUNU	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	JODHPUR METRO	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	JODHPUR DISTRICT	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KARAULI	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	KOTA	3	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	MERTA	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	PALI	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	RAJSAMAND	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	SAWAI MADHOPUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	SIKAR	2	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	SIROHI	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	SRI GANGANAGAR	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	TONK	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	UDAIPUR	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	**51**					**47**					**1**					**1**					**1**					**1**					**0**								**0**

संलग्नक - 4

अनुसूचित क्षेत्र (TSP Areas)

जिला न्यायालयों में आशुलिपिक ग्रेड–III (अंग्रेजी) की रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण (जिला–न्यायक्षेत्रवार एवं प्रवर्गवार)

S.NO.	NAME OF JUDGESHIP	TOTAL VACANCIES	GENERAL				Total Gen	EWS				Total EWS	SC				Total SC	ST				Total ST	OBC				Total OBC	MBC				Total MBC	HORIZONTAL RESERVATION							Total
			UR	F	W	D		EWS	F	W	D		SC	F	W	D		ST	F	W	D		OBC	F	W	D		MBC	F	W	D		PD					ES	OSP	
																																	B/LV	D/HH	LD	AUT	MD			
1	ABU ROAD BLOCK (SIROHI)	0					0					0					0					0					0					0								0
2	PRATAPGARH	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BANSWARA	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	DUNGARPUR	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**3**					**3**					**0**					**0**					**0**					**0**					**0**								**0**

संलग्नक - 5

गैर – अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP Areas)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (स्थायी लोक अदालतों सहित) में आशुलिपिक
(हिन्दी) की रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण (जिला–न्यायक्षेत्रवार एवं प्रवर्गवार)

S.NO.	NAME OF JUDGESHIP	Toal Vacancies (PLA+ DLSA)	PLA	DLSA	GENERAL				Total Gen	EWS				Total EWS	SC				Total SC	ST				Total ST	OBC				Total OBC	MBC				Total MBC	HORIZONTAL RESERVATION							Total
					UR	F	W	D		EWS	F	W	D		SC	F	W	D		ST	F	W	D		OBC	F	W	D		MBC	F	W	D		PD					ES	OSP	
																																		B/LV	D/HH	LD	AUT	MD			
1	AJMER	2	1	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ALWAR	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BALOTRA	2	1	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	BARAN	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	BHARATPUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BHILWARA	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	BIKANER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	BUNDI	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	CHITTORGARH	2	1	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	CHURU	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DAUSA	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	DHOLPUR	2	1	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	HANUMANGARH	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	JAIPUR METRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	JAIPUR DISTRICT	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

संलग्नक - 5

गैर – अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP Areas)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (स्थायी लोक अदालतों सहित) में आशुलिपिक
(हिन्दी) की रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण (जिला–न्यायक्षेत्रवार एवं प्रवर्गवार)

S.NO.	NAME OF JUDGESHIP	Toal Vacancies (PLA+ DLSA)	PLA	DLSA	GENERAL				Total Gen	EWS				Total EWS	SC				Total SC	ST				Total ST	OBC				Total OBC	MBC				Total MBC	HORIZONTAL RESERVATION							Total
					UR	F	W	D		EWS	F	W	D		SC	F	W	D		ST	F	W	D		OBC	F	W	D		MBC	F	W	D		PD					ES	OSP	
																																		B/LV	D/HH	LD	AUT	MD			
16	JAISALMER	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	JALORE	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	JHALAWAR	2	1	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	JHUNJHUNU	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	JODHPUR METRO	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	JODHPUR DISTRICT	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KARAULI	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	KOTA	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	MERTA	2	1	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	PALI	2	1	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	RAJSAMAND	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	SAWAI MADHOPUR	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	SIKAR	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	SIROHI	2	1	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

संलग्नक - 5

गैर – अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP Areas)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (स्थायी लोक अदालतों सहित) में आशुलिपिक
(हिन्दी) की रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण (जिला–न्यायक्षेत्रवार एवं प्रवर्गवार)

S.NO.	NAME OF JUDGESHIP	Toal Vacancies (PLA+ DLSA)	PLA	DLSA	GENERAL				Total Gen	EWS				Total EWS	SC				Total SC	ST				Total ST	OBC				Total OBC	MBC				Total MBC	HORIZONTAL RESERVATION							Total
					UR	F	W	D		EWS	F	W	D		SC	F	W	D		ST	F	W	D		OBC	F	W	D		MBC	F	W	D		PD					ES	OSP	
																																		B/LV	D/HH	LD	AUT	MD			
30	SRI GANGANAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	TONK	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	UDAIPUR	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	**36**	**13**	**23**					**36**					**0**					**0**					**0**					**0**					**0**							**0**

नोटः– तालिकाओं में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्द–रूपों की वृहद् शब्दावली

F - Female (महिला)
D - Divorcee Woman (विवाह विच्छिन्न महिला)
W - Widow (विधवा)
PD - Persons with Disabilities (दिव्यांगजन)
B/LV - Blind & Low Vision (अन्धता और निम्न दृश्यता)
D/HH - Deaf & Hard of Hearing (बधिर और जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है)
LD - Locomotor Disability (चलन दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत परा मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित और पेशीय दुर्विकार है)
AUT - Autism (ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग)
MD - Multiple Disabilities (उक्त दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु – दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत बधिर–अन्धता है)
UR - Un-Reserved (अनारक्षित)
SC - Scheduled Caste (अनुसूचित जाति)
ST - Scheduled Tribes (अनुसूचित जनजाति)
OBC - Other Backward Classes (अन्य पिछड़ा वर्ग)
MBC - More Backward Classes (अति पिछड़ा वर्ग)
EWS - Economically Weaker Section (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)
OSP - Outstanding Sports Person (उत्कृष्ट खिलाड़ी)
ES - Ex-Servicemen (भूतपूर्व सैनिक)
DLSA- District Legal Services Authority (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण)
PLA-Permanent Lok Adalat (स्थाई लोक अदालत)

संलग्नक - 6

अनुसूचित क्षेत्र (TSP Areas)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (स्थायी लोक अदालतों सहित) में आशुलिपिक
(हिन्दी) की रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण (जिला–न्यायक्षेत्रवार एवं प्रवर्गवार)

Sr. NO.	NAME OF JUDGESHIP	TOTAL VACANCIES (PLA +DLSA)	PLA	DLSA	GENERAL				Total Gen	EWS				Total EWS	SC				Total SC	ST				Total ST	OBC				Total OBC	MBC				Total MBC	HORIZONTAL RESERVATION							Total
					UR	F	W	D		EWS	F	W	D		SC	F	W	D		ST	F	W	D		OBC	F	W	D		MBC	F	W	D		PD				ES	OSP	
																																		B/LV	D/HH	LD	AUT	MD			
1	ABU ROAD BLOCK (SIROHI)	0							0					0					0					0					0					0							0
2	PRATAPGARH	2	1	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BANSWARA	1		1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	DUNGARPUR	1		1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**4**	**1**	**3**					**4**					0					**0**					**0**					**0**					**0**							**0**